



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय, रायपुर
द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590/95 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in



No- CHG/DRG/LST-37/NGP

खान कोड- 38CHG05006

दिनांक:-16.01.2023

प्रेषिति-

श्री भगत राम साहू, पट्टेदार,
नंदिनी खुन्दिनी चुनापथर खदान,
ग्राम-नंदिनी खुन्दिनी, तहसील-धमधा,
जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़-490036
ईमेल- muktanandlimestone8959@gmail.com

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित आपके नंदिनी खुन्दिनी चुनापथर खदान 0.955 हेक्टर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 (संशोधित 2021) के नियमों के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 28.10.2022 को इस कार्यालय के श्री प्रशान्त कुमार साहू, सहायक खनन अभियंता द्वारा श्री मुक्तानन्द साहू, पट्टेदार का प्रतिनिधि एवं डॉ. मनोज कुमार, अर्हित व्यक्ति के उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के उपरांत पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण विकास नियमावली 2017 एवं संशोधित नियमावली 2021 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
11(1)	The Mining operations required to be carried out in accordance with the Mining Plan approved, modified or reviewed by the Indian Bureau of Mines. However, mining operations have not been found carried out in accordance with the Review of Mining Plan (RMP) approved dated 03.05.2019 to the extent indicated below; i) Mining operation has been carried out in 7.5 mt. safety zone barrier in all around the lease area without any approval in the approved Review of Mining Plan during the year 2021-22.
26(2)	A yearly report as per the format specified by the Indian Bureau of Mines, before 1st day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out as envisaged in the approved mine closure plan has not been submitted for the year 2021-22.
55	Part time Mining Engineer and Geologist have not been appointed.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं संशोधित नियमावली 2021 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं संशोधित नियमावली 2021 के नियम 11(2) के अंतर्गत।

(क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघन 11(1), 26(2) एवं 55 का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय,

(दीपक चिंचखेडे)
सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :- (ईमेल द्वारा)

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440001
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, अटल नगर, छत्तीसगढ़।

सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो